फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हरिराम बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या –11/2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित कथनो को दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थी संख्या 1 हरिराम के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि वर्तमान आराजी संख्या 7037, 7040 किता 2 रकबा 0.6500 है भूमि व प्रार्थी संख्या 2 गोपीलाल एवं प्रार्थी संख्या 3 चुन्नीलाल के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि वर्तमान आराजी संख्या 7033, 7041, 7036 किता 03 रकबा 0.5900 है. भूमि व विपक्षी संख्या 2 नारायणलाल के खातेदारी अधिकारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि की वर्तमान आराजी संख्या 7034, 7035, 7039 किता 03 रकबा 0.5900 है. भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थी संख्या 2 गोपीलाल एवं प्रार्थी संख्या 3 चुन्नीलाल के गत खसरा न. 5845 श.न. 5846 क्षै. 01 बिघा 04 बिस्वा भूमि के वर्तमान खसरा न. 7036 क्षै. 0.2600 है. अंकित हुए है तथा प्रार्थी संख्या 1 हरिराम के गत खसरा न. 5848 क्षै. 01 बिघा 17 बिस्वा भूमि के वर्तमान खसरा न. 7037 क्षै. 0.4000 है. अंकित हुए है। नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थी संख्या 1 हरिराम के खसरा न. 7037 के पूर्वी दिशा की तरफ की भूमि को प्रार्थी संख्या 2 गोपीलाल एवं प्रार्थी संख्या 3 चुन्नीलाल के खसरा न. 7036 में अशुद्ध रूप से अंकित कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि में गत खसरा न. 5845 श.नं. 5846 का नक्शा ट्रेस खसरा न. 5848 का नक्शा ट्रेस पेश है। यह कि प्रार्थी संख्या 2 गोपीलाल एवं प्रार्थी संख्या 3 चुन्नीलाल के गत खसरा न. 5843 क्षै. 01 बिघा 11 बिस्वा भूमि के वर्तमान खसरा न. 7041 क्षै. 0.1600 है. एवं खसरा न. 7033 क्षै. 0.1700 है. कुल किता 02 क्षै 0.3300 है. अंकित हुए है तथा विपक्षी संख्या 1 नारायणलाल के गत खसरा न. 5841 श.न. 5842 क्षै. 01 बिघा 08 बिस्वा भूमि के वर्तमान, खसरा न. 7034 क्षै. 0.1400 है. एवं खसरा न. 7035 क्षै. 0.1600 है. कुल किता 02 क्षै. 0.3000 है. अंकित हुए है। नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थी संख्या 2 गोपीलाल एवं [illegible] संख्या 3 चुन्नीलाल के खसरा न. 7041 एवं 7033 के पूर्वी दिशा की [illegible] संख्या 1 नारायणलाल के खसरा न. 7034 एवं 7035 में अशुद्ध [illegible] है जिसकी [illegible] में गत खसरा न. 5843 का नक्शा ट्रेस एवं गत खसरा न. [illegible]1 श.न. 5842 का न[illegible]स पेश है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नवीन नक्शा ट्रेस को गत नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि हरिराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:57:12 IST
Reason: SelfAttested

पिता राधु अहीर निवासी, गोपीलाल पिता लालु अहीर निवासी भीण्डर एवं चुन्नीलाल पिता
लालु अहीर निवासी भीण्डर ने उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा किया है
वह गलत है। हरिराम की जमीन गोपीलाल, चुन्नीलाल पिता लालु अहीर के पक्ष में
हो गई इस मामले मे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उक्त प्रकरण में पटवारी
रिपोर्ट में आराजी न. 7034, 7035 की उत्तरी तरफ 4 मीटर लिखा वह गलत है
मीटर ही है दक्षिण की तरफ पटवारी रिपोर्ट में 2 मीटर अंकित है जबकि मौके पर
जमीन नहीं है नक्शा का दुबारा मौका मुआयना किया जावें। उक्त प्रकरण में
करा गोपीलाल, चुन्नीलाल की आराजी में से ही जमीन ली जावें मेरी आराजी में
जावें। मौका रिपोर्ट एवं मुकदमा जो मेरे खिलाफ किया वह खारीज किये जाने
किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रथम रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम
का नवीन आराजी न. 7036 रकबा 0.2600 है, मौके पर आयताकार बना हुआ है कि
नक्शे में उत्तर–पुर्व कौने की तरफ एक छोटा आयताकार उपर की तरफ टुकड़ा
में घटाया गया है जो कि नवीन आराजी न. 7037 रकबा 0.4000 है, के साथ में
फिट किया गया है। मौके अनुसार जो कि गलत है क्योंकि आराजी न. 7037 रकबा
है तथा मुख्य सड़क के मध्य अन्य कोई खातेदार व खसरा नहीं होकर आराजी न. 70
खातेदार ही काबिज है तथा पुराने नकशे अनुसार आराजी न. 7036 के साबिक आ
5845, 5846 रकबा 1–04 बीघा की आकृति भी आयताकार होकर उत्तर–पूर्वी कोने में
भाग अलग से नहीं बनाहुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि नवीन आराजी न. 7036
उत्तरी पूर्वी कोने का उपर का छोटा भाग उक्त आराजी से हटया जाकर आराजी न.
में शामिल किया जाना उचित है। यह कि आराजी न. 7033 और 7041 की मौके पर
नवीन नक्शे की आकृती से भिन्न है। मौके पर उक्त दोनों आराजीयात की पूर्वी पाली
आराजी न. 7040 व 7036 के मध्य की पाली जो कि उतरी से दक्षिणी तरफ सीधी आ
है" के सीध में ना होकर थोडा पूर्वी तरफ लगभग 4 मीटर L लगा हुआ है। अर्थात
दोनो आराजी की भूमि को नवीन आराजी न. 7034, 7035 में मिलान किया गया तथा
तरफ से आने वाली पाली को ही सीधा नीचे की तरफ मिलान किया गया जो कि
अनुसार सही नहीं है। साथ ही नवीन आराजी न. 7034 एवं 7035 की मौके पर ल
तथा नवीन लम्बाई में भी अन्तर होकर नकशें मे ज्यादा दर्ज है जिससे भी स्पष्ट है कि न
में कुछ गलती हुई है साथ ही पुराने नकशे में साबिक आराजी न. 5843 व 5841, 5842
पुराने नकशे के अनुसार मौका मिलान छोटा है तथा आराजी न. 5843 में पूर्वी पाली
तरफ अतिरिक्त L लगा है जो [illegible] आराजी न. 7033 व 7041 से हटया जाकर नवी
आराजी न. 7034, 7035 में शामिल [illegible] दिया गया है जो कि गलत है। तहसीलदार
भीण्डर द्वारा आराजी न. 7034, 7035 की पश्चिम पाली को लगभग उतरी तरफ 4 मीटर
दक्षिण तरफ 2 मीटर कम किया जाकर उक्त भाग को आराजी न. 7033, 7041 की पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:57:12 IST
Reason: SelfAttested

पाली तरफ मिलाया जाना उचित बताया तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया। उक्त रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने से तहसीलदार भीण्डर से पुनः रिपोर्ट चाही गई जिसमें तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि राजस्व ग्राम भीण्डर के हाल खसरा न. 7036 रकबा 0.26 है. (मिलान क्षै. अनुसार साबिक खसरा सं. 5845–5846) व 7037 रकबा 0.40 है. (मिलान क्षै. अनुसार साबिक खसरा सं. 5848–5849) के नक्शे की आकृति मे परिवर्तन होकर साबिक व हाल नक्शों का मिलान नहीं होना पाया। साबिक नक्शे अनुसार हाल का निरीक्षण करने पर वर्तमान खसरा न. 7036 एवं 7037 में परिवर्तन पाया जिसको पूर्व में प्रस्तुत संलग्न प्रस्तावित नक्शे में दर्शाया गया है। यह कि राजस्व ग्राम भीण्डर के हाल खसरा न 7033 रकबा 0.17 है., 7041 रकबा 0.16 है. (मिलान क्षै. अनुसार साबिक खसरा सं. 5843), 7034 रकबा 0.14 व 7035 रकबा 0.16 (मिलान क्षै. अनुसार साबिक खसरा सं. 5841–5842) के नक्शें की आकृति में परिवर्तन होकर साबिक व हाल नक्शों का मिलान नहीं होना पाया। साबिक नक्शें अनुसार हाल का निरीक्षण करने पर वर्तमान खसरा नं. 7034, 7035 तथा खसरा सं. 7033, 7041 में परिवर्तन पाया जिसे करे पूर्व में प्रस्तुत संलग्न प्रस्तावित नक्शें में दर्शाया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 7036, 7037, 7033, 7034, 7035 के नवीन नक्शा ट्रेस में साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले परिवर्तन हो गया है जिससे प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नवीन नक्शा ट्रेस मे परिवर्तन हो गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की आराजी न. 7036, 7037, 7033, 7034, 7035, 7041 की तरमीम तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधित किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:57:12 IST
Reason: SelfAttested